न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1173–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 26–3–14 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, टप्पा गौतमपुरा, तहसील देपालपुर जिला इन्दौर प्रकरण कमांक 42/अ–6/13–14.

संजय सिंह पिता अंतर सिंह
निवासी ग्राम गिरोता
तहसील देपालपुर जिला इन्दौर .....आवेदक

विरूद्ध

निर्भय सिंह पिता सिद्धनाथ
निवासी ग्राम गिरोता
तहसील देपालपुर जिला इन्दौर .....अनावेदक

श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री टी.टी. गुप्ता अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक २५/९/१८ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, टप्पा गौतमपुरा, तहसील देपालपुर जिला इन्दौर पारित आदेश 26–3–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार, टप्पा गौतमपुरा, तहसील देपालपुर जिला इन्दौर के समक्ष संहिता की धारा 109/110 के अन्तर्गत

आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम गिरोता तहसील देपालपुर जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 102/841 रकबा 0.825 का नामान्तरण किये जाने का अनुरोध किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 42/अ–6/13–14 पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण में कार्यवाही प्रारंभ की गई, कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई, जिसे तहसील न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 26–3–14 को निरस्त किया । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में अनावेदक द्वारा पूर्व में ही दिनांक 4–9–2014 को ही लिखित तर्क प्रस्तुत किये जा चुके हैं, अतः दिनांक 4–8–2015 आवेदक के विद्वान अभिभाषक को एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए प्रकरण आदेशार्थ सुरक्षित किया गया था, किन्तु आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये हैं । अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेख के आधार पर किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से तर्क निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण स्थिति को पूर्ण रूप से अनदेखा कर दिया गया है कि आवेदक प्रश्नाधीन भूमि में हित रखने वाला हितबद्ध व्यक्ति होकर आवेदक का नाम राजस्व अभिलेख में भूमिस्वामी के रूप में अंकित होते हुए भी अनावेदक द्वारा आवेदक को पक्षकार नहीं बनाया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा उपरोक्त समग्र परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आवेदक को प्रकरण में जोड़े जाने के आदेश देते हुए आवेदक को प्रकरण में सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था, किन्तु इस तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति को पूर्ण रूप से नजरअंदाज करते हुए, जो आलोच्य आदेश पारित किया गया है, वह पूर्णतः अवैधानिक होकर अपास्त किये जाने योग्य है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा इस महत्वपूर्ण स्थिति को भी पूर्ण रूप से नजरअंदाज किया गया है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित किये गये एकपक्षीय निर्णय को अपास्त करते हुए आवेदक द्वारा आदेश 9 नियम 13 व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई कार्यवाही व्यवहार विधिक प्रकरण कमांक 8/13 में विचाराधीन होने के दशा में वर्तमान नामान्तरण प्रकरण की आगामी कार्यवाही को उक्त प्रकरण में अंतिम निराकरण तक स्थगित रखा जाना न्यायहित में था, किन्तु आवेदक द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्ति पर विचार न करते

हुए, जो आदेश तहसील न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह अपास्त किये जाने योग्य है ।

(3) तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को पक्ष समर्थन का उचित अवसर न देते हुए आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो सर्वमान्य नैसर्गिक न्याय के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से तर्क निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) दीवानी वाद में पारित निर्णय व जय पत्र में अनावेदक को प्रश्नाधीन भूमि सर्वे क्रमांक 102/841 रकबा 0.825 हैक्टेयर भूमि का स्वत्वाधिकारी माना गया है तथा तहसील न्यायालय के द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक 83/अ–27/07–08 में दिनांक 30–5–2008 को पारित आदेश अनावेदक पर बंधनकारी नहीं होना निर्णीत किया गया है । उक्त निर्णय व जय पत्र राजस्व न्यायालय पर बंधनकारक है, जिसका अक्षरतः पालन करना राजस्व न्यायालय का कर्तव्य है, ऐसी स्थिति में आवेदक की निराधार आपत्ति को निरस्त करने में नायब तहसीलदार के द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(2) दीवानी न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय व जय पत्र के परिपालन में वरिष्ठ न्यायालय अथवा दीवानी न्यायालय के द्वारा कोई रोक नहीं लगाई गई है, अतः बिना स्थगन आदेश के नायब तहसीलदार के द्वारा अपनी कार्यवाही को रोका नहीं जा सकता था, ऐसी स्थिति में आवेदक की निराधार आपत्ति को निरस्त करने में नायब तहसीलदार के द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है ।

(3) नायब तहसीलदार के द्वारा प्रकरण में उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर पर ही प्रश्नाधीन आदेश पारित किया गया है, जिसमें कोई अवैधानिकता व त्रुटि नहीं है । आवेदक के द्वारा निगरानी मात्र प्रकरण को लंबान में डालने एवं अनावेदक की भूमि को किसी भी प्रकार से हड़पने की नियत से प्रस्तुत की गई है, जो प्रथम दृष्टया निरस्त होने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्तियों को निरस्त करने का कोई भी आधार अपने आदेश में नहीं दर्शाया गया है केवल यह उल्लेख करते हुए आपत्ति निरस्त की गई है कि आपत्ति पर बहस सुनी गई, प्रथम दृष्टि में आपत्ति निरस्त की जाती है । जबकि तहसील न्यायालय का यह विधिक दायित्व था कि वे आवेदक की ओर से प्रस्तुत आपत्ति पर विचार करते हुए सकारण आदेश पारित करते । स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश बोलता हुआ आदेश की परिधि में नहीं आता है, इस कारण उनका आदेश निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, टप्पा गौतमपुरा, तहसील देपालपुर जिला इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–3–14 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण आवेदक की आपत्ति पर उभय पक्ष को सुनकर सकारण आदेश पारित करने हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर